भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4764
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन

4764. श्री राकेश राठौरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए घरों की जिला-वार संख्या कितनी है:
(ख) उत्तर प्रदेश में जेजेएम के अंतर्गत निर्धारित किए गए विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्यों से पिछड़ने का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो कितनी कमी पाई गई है; और
(घ) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़क संपर्क और सुलभ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के सामूहिक प्रयासों से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.45 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.08.2025 तक, देश के 19.36 करोड़

ग्रामीण परिवारों में से 15.68 करोड़ (81.02%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 15 अगस्त 2019 को 5.16 लाख (1.93%) नल जल कनेक्शनों से शुरू करके, 19 अगस्त 2025 तक 2.41 करोड़ (90.34%) नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ नल कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का जिला-वार विवरण https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध है।

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइपगत जलापूर्ति योजना के अंतर्गत कवर किया जाना है। उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत परिवारों को वर्ष 2028 तक कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि जेजेएम के तहत उत्तर प्रदेश में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में और नल जल कनेक्शन प्रदान करने में सरकार द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्याओं तथा चुनौतियों में बड़े पैमाने पर कार्य, सीमित समय-सीमा, विभागों में समन्वय का अभाव, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कठिन भूभागों और भू-तकनीकी परिस्थितियां, कोविड-19 महामारी, पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता, देश भर में एक समय पर शुरू हुए जेजेएम कार्य के कारण समय पर सामग्री की अनुपलब्धता, जनशक्ति और मशीनरी की कमी शामिल हैं।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन सड़कों की मरम्मत अथवा नवीकरण करना शामिल है जो जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते समय प्रभावित होती हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को होने

वाली किसी कठिनाई से बचाने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण जल योजनाओं को इस प्रकार से शुरू करें कि सड़कों/राजमार्गों जैसी अवसंरचना को न्यूनतम क्षति हो और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय क्षति होने पर सड़कों/राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि राज्य में 19.08.2025 तक 5,17,725 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। काम के दौरान 1,96,877 किलोमीटर लंबी विभिन्न प्रकार की सड़कों को तोड़ा गया है, जिनमें से 1,90,710 किलोमीटर लंबी सड़कों को पहले ही ठीक किया जा चुका है। शेष सड़कों को आंशिक रूप से ठीक करके इन्हें मोटर चलाने योग्य बनाया गया है और पाइप बिछाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के बाद सड़कों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा।

देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तेजी लाने के लिए, जमीन स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने हेतु ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें नियमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभाग से बहु-विषयक टीमों का दौरा करना शामिल है ताकि उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जा सके जहाँ समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी लाने के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।

*****